

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

दीवानी अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर एएस
राजस्व वाद संख्या :- 212/2024

1 अमन पूनिया पुत्र महावीर पूनिया जाति जाट निवासी ढाणी चक 8 एफ.टी.पी. बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- - वादी

बनाम

2 महावीर पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ढाणी चक 8 एफ.टी.पी.-बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3 सरोज पत्नी महावीर जाति जाट निवासी ढाणी चक 8 एफ.टी.पी.-बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- - प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 20.08.2024

वादी की ओर से श्री संजय शर्मा अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री जयनारायण शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.08.2024 को स्वाति गुप्ता आर एएस उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वाद पत्र में वर्णित चक नम्बर 8 एफ.टी.पी.-बी के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 68/63 में कुल 1.237 हैक्टर नहरी मय मै 0.मु० खाला व इसी चक के खाता संख्या 69/64 में कुल 0.401 हैक्टर नहरी आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 8 एफ.टी.पी.-बी के खाता संख्या 68/63 व इसी चक के खाता संख्या 69/64 में से महावीर का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी